न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल0आर0 एक्ट संख्या :–43/2022/जिला भीलवाड़ा

कैलाशचन्द्र पुत्र पन्नालाल जैन निवासी चांदजी की खेडी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।

––अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलियां भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा दिनांक 22.02.2022 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 122/2020 उनवानी सरकार बनाम कैलाशचन्द्र में पारित किया गया।

उपस्थित अभि0:–श्री अभिषेक शर्मा (वकील अपी0)
श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

निर्णय दिनांकः–31.10.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पचानपुरा तहसील बिजौलियां के खसरा नम्बर 873/562 रकबा 2 बीघा भूमि का आवंटन कमिटी द्वारा अपीलांट के पक्ष में सन् 1989 में किया गया तथा भूमि को आवंटी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज किया गया। तहसीलदार बिजौलियां द्वारा एक प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर भीलवाड़ा न्यायालय में 223/2019 नम्बर से दर्ज करवाकर अपीलांट के पक्ष में किये गये भूमि आवंटन को कब्जाकाश्त नहीं होने तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने की वजह से निरस्त करने की मांग की गई तथा भूमि पुनः बीलानाम सरकार करने हेतु निवेदन किया गया। उक्त पत्रावली बाद में अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय भीलवाड़ा में स्थानांतरित कर दी गई। जहां इसे 122/2020 नम्बर दिया गया। उक्त पत्रावली पर सुनवाई करने के बाद अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.02.2022 से पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार बिजौलियां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर भूमि आवंटन को निरस्त कर दिया गया तथा भूमि को बिलानाम घोषित करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा वर्तमान अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की गई है

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:50 IST
Reason: SelfAttested

1. पटवारी रिपोर्ट दिनांक 14.05.2018 में यह नहीं लिखा है कि मौके पर आवंटी का कब्जा नहीं है।

2. अपीलांट को आवंटन नियमानुसार किया गया है तथा आवंटन प्रोसेस करने में किसी प्रकार का धोका व मिसरिप्रेजेंशन नहीं किया गया है।

3. आवंटी आवंटन दिनांक से ही भूमि के कब्जेकाश्त में है तथा तहसीलदार द्वारा नियमानुसार गैरखातेदारी दी गई थी।

4. नियम 14(1) में यह शर्त अंकित है कि आवंटन दिनांक से 3 वर्ष के भीतर आवंटन की शर्तों की पालना की जाती है तो आवंटी स्वतः खातेदार हो जाता है।

5. पटवारी रिपोर्ट बिना आवंटी की उपस्थिति में बनायी गयी है। अतः अपील स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2022 को अपास्त किये जाने का आदेश दिया जायें एवं आवंटन यथावत रखे जाने का आदेश दिया जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र के अनुसार आवंटन दिनांक से आवंटी का कब्जाकाश्त है। प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है तथा अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश की आड़ में यदि उन्हे बेदखल किया जाता है तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी। अतः अपील निस्तारण तक अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2022 की पालना व क्रियान्विति को स्थगित रखा जायें तथा राजस्व रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति रखी जायें।

अपील के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की गयी तथा रेस्पो0 को नोटिस जारी कर अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड तलब कर प्राप्त किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई, बहस के दौरान वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि ग्राम पचानपुरा में खसरा नम्बर 873/562 में अपीलांट को भूमि 1989 में आवंटित की गई थी तब से कब्जाकाश्त हमारा है। सन् 2020 में तहसीलदार द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त करने हेतु नियम 14(4) में जिला कलक्टर न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। दिनांक 22.02.2022 को आवंटन निरस्त कर दिया गया। भूमि गैर खातेदारी में थी तथा अपने आप खातेदारी दी जानी चाहिए थी। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 14.05.2018 में हमारा कब्जा नहीं है यह कही नहीं लिखा हुआ है। धोखे या मिसरिप्रेजेंटेशन से हमने आवंटन प्राप्त नहीं किया है तथा गैर खातेदारी से खातेदारी प्राप्त करने के लिए हमने कई पत्र लिखे, मगर हमें लाभ नहीं मिला। नियम 14(1) में हमें स्वतः खातेदारी मिलनी चाहिए।

राजकीय अभिभाषक ने बहस में बताया कि यह आदेश विधि अनुसार है तथा पटवारी रिपोर्ट में कब्जाकाश्त नहीं है तथा आवंटन शर्तों की उल्लघंन की बात कहीं है। आवंटी को सजग रहना चाहिए था। अतः अपील खारिज की जायें।

सर्वप्रथम अपील के मियाद अवधि में होने बाबत बिन्दु पर विचार किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2022 को [illegible] तथा अपीलांट द्वारा दिनांक 21.04.2022 को अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत [illegible] पाया जाता है। अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:50 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बिजौलियां द्वारा प्रकरण पूर्व में जिला कलक्टर न्यायालय

में राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलियां बनाम कैलाशचन्द्र के विरूद्ध कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत दर्ज करवाते हुए निवेदन किया था कि आवंटी के पक्ष में किये गये आवंटन को आवंटन शर्तों के उल्लघंन करने एवं कब्जाकाश्त नहीं होने से निरस्त करते हुए भूमि को बीलानाम दर्ज करने का आदेश दिया जायें। तहसीलदार द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ जमाबंदी,मौकापर्चा, खसरा गिरदावरी, आवंटन आदेश की प्रति लगाई गई है। मौकापर्चा दिनांक 14.05.2018 आंशिक रूप से प्री–प्रिंटेड है तथा खाली स्थानों को हाथ से भरा गया है। इसमें आवंटी कैलाशचन्द्र को संवत 2046 से गैर खातेदार बताया गया है। मौकापर्चा पर सुरेश, कमलेश खाना, दीपक , शांतिलाल अंकित है तथा अन्य दो लोगों के हस्ताक्षर है। जिसमें एक हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 14.05.2018 अंकित है। जमाबंदी संवत 2072–75 ग्राम पचानपुरा विवादित खसरा नम्बर 773/562 रकबा 2 बीघा भूमि अपीलांट के नाम गैर खातेदारी में दर्ज होना पाया जाता है तथा गिरदावरी संवत 2072–74 के अनुसार अपीलांट द्वारा आवंटित क्षेत्र में कोई फसल काश्त किया जाना नहीं पाया गया। अपीलांट द्वारा भूमि आवंटन हेतु जो प्रार्थना पत्र दिया गया था उसमें रिपोर्ट पटवारी में आवंटी को बाहर का रहने वाला बताया गया था तथा गल्ले का धंधा एवं दुकान करना बताया गया। यानि अपीलांट सदभावी कृषक की श्रेणी में नहीं था। आवंटित भूमि का आदेश दिनांक 09.11.1989 का अवलोकन किया गया। उक्त आदेश उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ द्वारा जारी किया गया है। जिसमें भूमि का अधिकार दिनांक 12.06.1989 को आवंटिती को दिया जाना बताया है। उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 7 में आवंटन की शर्तों का उल्लेख किया गया है। जिसमें बिन्दु नम्बर 7(1) के अनुसार भूमि गैर खातेदारी पर दी गई है तथा 10 वर्ष समाप्त हो जाने के बाद खातेदारी दी जा सकेगी यदि आवंटी द्वारा शर्तों की पालना की जायें। बिन्दु संख्या 7(3) के अनुसार आवंटी को आवंटन के 1 वर्ष के भीतर कम से कम 50 प्रतिशत क्षेत्र तथा अगले वर्ष सम्पूर्ण फसल काश्त करना होगा।

अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2022 का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी रिपोर्ट को अपने निर्णय का मुख्य आधार बताया है। हालांकि पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 14.05.2018 में कब्जेकाश्त बाबत अंकन नहीं किया है। मगर उनके द्वारा जो पत्र दिनांक 14.05.2018 तहसीलदार बिजौलियां को लिखा गया है। उसमें यह बताया गया है कि गैर खातेदार का कब्जा व काश्त नहीं है। आवंटन आदेश के बिन्दु 7(1) के अनुसार आवंटी को आवंटन शर्तों की पालना करने के अनुसार 10 वर्ष की अवधि के बाद गैर खातेदार से खातेदारी दी जा सकती है। खसरा गिरदावरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटी द्वारा भूमि का कोई उपयोग काश्त करने हेतु नहीं किया जा रहा है जबकि भूमि उसे कृषि करने हेतु दी गई थी। अपीलांट वकील द्वारा बहस [illegible]या गया था कि खातेदारी प्राप्त करने हेतु उनके द्वारा कई पत्र लिखे गये मगर ऐसा कोई पत्र पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। आवंटन हेतु भरे गये [illegible] उसे बाहर का निवासी बताया गया था तथा गल्ले का व्यापारी एवं दुकानदार बताया था। ऐसी अवस्था में भी आवंटन कमिटी द्वारा किस आधार पर उक्त आवंटन किया गया है, जो संदेह से

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:50 IST
Reason: SelfAttested

परे नहीं है। आवंटी को भूमि कृषि कार्य हेतु दी गई थी। तहसीलदार द्वारा आवंटन निरस्त करने हेतु सही रूप से अनुशंषा की गई है। अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है। अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

क्रियात्मका आदेश

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2022 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 122/2020 कृषि भूमि आवंटन निरस्त करने बाबत नियम 14(4) में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

यह आदेश आज दिनांक 31.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:50 IST
Reason: SelfAttested